न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 87 / 2021

महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया निवासी अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर ।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलै0 भरतपुर (उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 24.11.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया निवासी अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2021 से उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 720 दिनांक 16.11.2021 के द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से पत्र कमांक / 5464 दिनांक 24.11.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 5464 दिनांक 24.11.2021 का अवलोकन किया गया। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को प्रेषित पत्र कमांक 4455 दिनांक 22.09.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपजिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर